

बिहार सरकार  
गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक

राधा नन्दन प्रसाद,  
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),  
बिहार, पटना

पटना, दिनांक फरवरी, 2017

विषय :- बिहार पुलिस रेडियो संगठन के प्रयोजनार्थ प्रपत्र/पंजियों का मुद्रण बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना से कराने हेतु कुल ₹ 27,70,582 (सताईस लाख सत्तर हजार पाँच सौ बेरासी ₹०) मात्र की अग्रिम निकासी की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक-308/आपूर्ति, दिनांक 11.01.2017 के अलोक में बिहार पुलिस रेडियो संगठन के प्रयोजनार्थ प्रपत्र/पंजियों का मुद्रण बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना से कराने हेतु अधियाचित राशि कुल ₹ 27,70,582 (सताईस लाख सत्तर हजार पाँच सौ बेरासी ₹०) मात्र की अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मद में मांग सं०-22, मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष-0003-केन्द्रीय स्तर पर सामग्रियों का क्रय, विषय शीर्ष 16 01-प्रकाशन एवं मुद्रण तथा विपत्र कोड सं० N2055000010003 के अंतर्गत विकल्पित होगा।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना द्वारा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. निकासी की गई अग्रिम राशि को किसी भी हालत में बैंक खाता में नहीं रखा जायेगा और एक नाह की अदधि में उसका व्यय अवश्य कर लिया जायेगा। अनावश्यक रूप से राशि की निकासी कर उसे बेकार नहीं रखा जायेगा। अग्रिम राशि के विरुद्ध आवश्यकतानुसार बैंक गारन्टी अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी ताकि राशि सुरक्षित रहे। राशि व्यय होने के उपरांत शीघ्र नियमानुसार डी०सी० विपत्र समर्पित कर दिया जायेगा।

5. बिहार कोषागार संहिता, 2011 का विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

6. निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजात को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का उल्लेख अवश्य

करेंगे।

8. डी०सी० विपत्र/उपयोगिता प्रमाण-पत्र 3 माह के अंदर समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

10. उपर्युक्त में विभागीय मंत्री, मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

H0/-

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापक-6/ब0गै0यो0-01-52/2015गू0आ0...../1965 पटना, दिनांक 4 फरवरी, 2017  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना तथा आई०टी० प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव